न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी
(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः—2025/155 दर्ज तिथिः—24.04.2025

1. मनोज कुमार पुत्र रमेश कुमार
2. सुरेश कुमार पुत्र रमेश कुमार
3. कंचनदेवी पत्नी रमेश कुमार
   जाति जाट निवासी राठौड़ो की ढाणी उर्फ मालियो की ढाणी तहसील गुड़ामालानी

.............................वादीगण

बनाम

1. दिलीपसिंह पुत्र मगसिंह
2. सुरेन्द्रसिंह पुत्र मगसिंह
3. लीला कंवर पत्नी मगसिंह
4. भंवरसिंह पुत्र मंगलसिंह
5. हंसा कंवर पत्नी मंगलसिंह
6. ललूकंवर पुत्री राणसिंह
7. जसु कंवर पुत्र राणसिंह
8. सुआ कंवर पत्नी राणसिंह
   जाति राजपुत निवासी राठौड़ो की ढाणी उर्फ मालियों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी
9. नवली देवी पत्नी भंवरलाल
10. भीखाराम पुत्र देदाराम
11. हरीसिंह पुत्र देदाराम
    जाति जाट निवासी राठौड़ो की ढाणी उर्फ मालियों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी

...........................असल प्रतिवादी

12. शाखा प्रबंधक एस0बी0आई0 कृषि बैंक शाखा गुड़ामालानी
13. तहसीलदार गुड़ामालनी

...........................तरतीबी प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः—श्री डालूराम चौधरी
प्रतिवादी संख्या 09ः—रोशनलाल चौधरी
अन्य प्रतिवादीः— एकतरफा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा—53, 188
राजस्थान काश्तकारी अधि0—1955

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.02.21 14:07:43 IST
Reason: SelfAttested

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः–16.02.2026

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा– 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 का बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वास्ते निर्णय किये जाने पेष हुआ है। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि संयुक्त आराजी खसरा संख्या 1278 (वर्तमान खसरा संख्या 1278 व 1278 / 2) है0 मौजा राठौड़ो की ढाणी उर्फ मालियों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी में अवस्थित है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण असल की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में वादी का हिस्सा खुला हुआ हैं तथा आराजी संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। यह विवादित आराजी अविभाजित है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक विधिक तकासमा नहीं हुआ है। असल प्रतिवादीगण वादी की उक्त हिस्सा आराजी के कुल कार्य काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करते हैं एवं जबरन लठ के बल कब्जा कर वादी को अपने हिस्सा आराजी से बेदखल कर निर्माण कार्य, दीगर लोगों रहन बैय मुन्तकिल करना चाहते है। अंत में वाद पत्र में उक्त विवादित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा किया जाकर कुर्रेजात कायम कराया जाकर अलग से खाता कायम कराया जाकर सहखातेदारों के लिए रास्ता कायम किया जाकर तकसीम शुदा आराजी का अमल राजस्व रिकॉर्ड में कराया जाकर वादी को तकसीम शुदा आराजी पर दखल दिलाया जाने का निवेदन किया गया।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। बाद विधिवत तामिल बावजूद प्रतिवादीगण अनुपस्थित रहने से प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में अभिभाषक वादी की एकतरफा बहस सुनी गई। प्रकरण में दिनांक 04.12.2025 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार गुढामालानी से कुर्रेजात रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार गुढामालानी के पत्रांक / कोर्ट / 2026 / 2017 दिनांक 31.01.2026 द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम–1955 के नियम–18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रेजात रिपोर्ट प्रेषित की गई। उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर अभिभाषक वादी द्वारा सहमति प्रदान की तथा प्रकरण में अंतिम बहस सुनी गई। तहसीलदार गुढामालानी के पत्रांक / कोर्ट / 2026 / 2017 दिनांक 31.01.2026 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम–1955 के नियम–18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रेजात रिपोर्ट को तैयार करने की प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार हैः–

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.02.21 14:07:43 IST
Reason: SelfAttested

प्रक्रिया हेतु प्रावधान	अपनायी गई प्रक्रिया
21. Preparation of map and demarcation of sub-divided fields. *- The Tehsildar shall prepare and place on record map showing in different colours the plots given to each party, and if any field has been sub-divided, he shall demarcate the portion at the expense of the parties.*	प्रकरण में दिनांक 21.01.2026 को तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा मय पटवारी/गिरदावर स्वयं मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।
प्रकरण में पक्षकारो को मौका निरीक्षण हेतु जरिये नोटिस मौका निरीक्षण की दिनांक के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।	1. प्रकरण में समस्त वादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील गुड़ामालानी के नोटिस क्रमांक 2891—2904 दिनांक 19.12.2025 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 21.01.2026 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई। 2. प्रकरण में समस्त प्रतिवादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील गुड़ामालानी के नोटिस क्रमांक 2891—2904 दिनांक 19.12.2025 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 21.01.2026 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।

3. प्रकरण में वादीगण द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पर दी गई। सहमति एवं बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2074—2077 तथा कुर्रेजात रिपोर्ट का ध्यानपर्वूक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण हाल आराजी खसरा संख्या संयुक्त आराजी खसरा संख्या 1278 (वर्तमान खसरा संख्या 1278 व 1278/2) है0 मौजा राठौड़ो की ढाणी उर्फ मालियों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी के संयुक्त खातेदार है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादी एवं असल प्रतिवादीगण की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादी तथा असल प्रतिवादीगण का हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड होना प्रमाणित होता है। उक्त विवादित आराजीयात अविभाजित है एवं राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। पक्षकार की कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित आराजीयात् का विधिक तकासमा किया जाना आवष्यक है अतः दावा वादीगण मुताबिक विभाजन—प्रस्ताव (कुर्रेजात रिपोर्ट) मय नक्शा— ट्रेस के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

4. प्रकरण में वादी द्वारा तकसीम आराजी के साथ—साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। प्रकरण में वादी के अनुतोष के विवेचन हेतु तथ्यों का गहन

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.02.21 14:07:43 IST
Reason: SelfAttested

विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 का उद्धरण यहॉ प्रतीत होता है। जो कि निम्न प्रकार हैः—

> ***188. Injunction against wrongful ejectment—***
> *(1) Any tenant whose right to or enjoyment of the whole or a part of his holding is invaded or threatened to be invaded by his landholder or any other person may bring a suit for the grant of a perpetual injunction.*
> *(2) The court may after making the necessary enquiry grant a perpetual injunction in the following cases, namely-*
> *(a) if there exist no standard for ascertaining the actual damage caused or likely to be caused by the invasion;*
> *(b) if the invasion is such that pecuniary compensation does not afford adequate relief;*
> *(c) where it is probable that pecuniary compensation cannot be got for the invasion.*
> *(d) where the injunction is necessary to prevent a multiplicity of proceedings.*

5. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा—188 के अन्तर्गत किसी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारो की आमदरफत में किसी प्रकार का व्यवधान / अतिक्रमण किया जा रहा हो / किया जाने वाला हो उस स्थिति में व्यवधान उत्पन्न / अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने के प्रावधान बनाए गए है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 की उपधारा—2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु निम्न चार परिस्थितियां बताई गई हैः—

परिस्थिति	विवरण
1.	जब हो रहे / होने वाले संभावित अतिक्रमण / व्यवधान / घुसपैठ से होने वाले नुकसान के आंकलन हेतु कोई मानक / मापदण्ड अस्तित्व में नहीं हो।
2.	जब अतिक्रमण / व्यवधान / घुसपैठ इस प्रकार का हो कि नुकसान की आर्थिक भरपाई / क्षतिपूर्ति पर्याप्त राहत / संतुष्टि प्रदान नहीं करता हो।
3.	जब इस तथ्य की संभावना हो कि अतिक्रमण / व्यवधान / घुसपैठ से होने वाले नुकसान की आर्थिक भरपाई / क्षतिपूर्ति की प्रदानगी संभव नहीं होगी।
4.	जब निषेधाज्ञा राजस्व विवादों की बहुलता को रोकने हेतु आवश्यक हो।

6. इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन के अनुसार स्पष्ट है कि प्रकरण में वादी का प्रथम अनुतोष स्वीकार होने के पश्चात् मुतनाजा आराजी पर वादी का संयुक्त काश्तकार घोषित होने के आधार पर वादी की संयुक्त खातेदारी होना पूर्ण रूप से साबित होती है। अतः मुतनाजा आराजी पर मुताबिक हिस्सा वादी का संयुक्त स्वामित्व अविवादित है। प्रकरण में वादीगण व प्रतिवादीगण की आराजी का विभाजन किया जाना प्रस्तावित है। उक्त विभाजन के पश्चात वादीगण व प्रतिवादीगण का

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.02.21 14:07:43 IST
Reason: SelfAttested

पृथक—पृथक खाता कायम किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही हाल में संयुक्त आराजी का रिकॉर्ड में पृथक अंकन किया जाकर मौके पर उसी अनुसार कब्जा भी पृथक से सुपुर्द किया जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादीगण खाता विभाजन के पश्चात रिकॉर्ड में व मौके पर पृथक—पृथक रूप से अपनी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों का उपयोग—उपभोग बिना किसी बाधा के करने हेतु अधिकृत व स्वतंत्र है। इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादीगण खाता विभाजन के पश्चात रिकॉर्ड में व मौके पर पृथक—पृथक रूप से अपनी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों का उपयोग—उपभोग बिना किसी बाधा के करने में आपस में किसी प्रकार का अवरोध खातेदारी अधिकारों पर नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। इस आधार पर वादी व प्रतिवादीगण खाता विभाजन के पश्चात रिकॉर्ड में व मौके पर पृथक—पृथक रूप से अपनी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों का उपयोग—उपभोग बिना किसी बाधा के करने में आपस में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

7. अतः हाल सह काश्तकार बाद तकसीम अपने पृथक—पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

दावा वादीगण अन्तर्गत धारा—53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या संयुक्त आराजी खसरा संख्या 1278 (वर्तमान खसरा संख्या 1278 व 1278/2) है0 मौजा राठौड़ो की ढाणी उर्फ मालियों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा—ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वाद डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग—अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुड़ामालानी को दिये जाते हैं।

खातेदार	हिस्सा	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
मनोज कुमार पुत्र रमेशचन्द्र	1 / 3	राठौड़ो की ढाणी उर्फ मालियों की ढाणी	1278 1278 / 2	3.0346 है0 0.0246 है0	बा0सो0
सुरेश कुमार पुत्र रमेशचन्द्र	1 / 3				
कंचनदेवी पत्नी रमेशचन्द्र	1 / 3				

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.02.21 14:07:43 IST
Reason: SelfAttested

जाति जाट सा0 देह खातेदार					
कुल किता 02 रकबा 3.0592 है0					
नवली पत्नी भंवरलाल जाति जाट सा0 खडीन खातेदार	पूर्ण	राठौड़ो की ढाणी उर्फ मालियों की ढाणी	1278 / 2	3.0592 है0	बा0सो0
कुल किता 01 रकबा 3.0592 है0					
भीखाराम पुत्र देदाराम हरिसिंह पुत्र देदाराम जाति जाट सा0 खडीन खातेदार	1 / 2 1 / 2	राठौड़ो की ढाणी उर्फ मालियों की ढाणी	1278 / 2 1279	2.0557 है0 1.0279 है0	बा0सो0
कुल किता 02 रकबा 3.0836 है0					
भंवरसिंह पुत्र मंगलसिंह हंसकंवर पत्नी मंगलसिंह दिलिपसिंह पुत्र मगसिंह सुरेन्द्रसिंह पुत्र मगसिंह लीला कंवर पत्नी मगसिंह जाति राजपुत सा0 देह खातेदार	1 / 4 1 / 4 1 / 6 1 / 6 1 / 6	राठौड़ो की ढाणी उर्फ मालियों की ढाणी	1278	2.7119 है0	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 2.7119 है0					

उक्तानुसार पक्षकारान अपने–अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक–पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता आराजी पर जबरन कब्जा व बेदखली न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना–अपना वहन करेगें।

यह निर्णय आज दिनांक 16.02.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.02.21 14:07:43 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः—2025/155 दर्ज तिथिः—24.04.2025

1. मनोज कुमार पुत्र रमेश कुमार
2. सुरेश कुमार पुत्र रमेश कुमार
3. कंचनदेवी पत्नी रमेश कुमार

   जाति जाट निवासी राठौड़ो की ढाणी उर्फ मालियो की ढाणी तहसील गुड़ामालानी

..............................वादीगण

बनाम

1. दिलीपसिंह पुत्र मगसिंह
2. सुरेन्द्रसिंह पुत्र मगसिंह
3. लीला कंवर पत्नी मगसिंह
4. भंवरसिंह पुत्र मंगलसिंह
5. हंसा कंवर पत्नी मंगलसिंह
6. ललूकंवर पुत्री राणसिंह
7. जसु कंवर पुत्र राणसिंह
8. सुआ कंवर पत्नी राणसिंह

   जाति राजपुत निवासी राठौड़ो की ढाणी उर्फ मालियों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी
9. नवली देवी पत्नी भंवरलाल
10. भीखाराम पुत्र देदाराम
11. हरीसिंह पुत्र देदाराम

    जाति जाट निवासी राठौड़ो की ढाणी उर्फ मालियों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी

..........................असल प्रतिवादी

12. शाखा प्रबंधक एस0बी0आई0 कृषि बैंक शाखा गुड़ामालानी
13. तहसीलदार गुड़ामालनी

..........................तरतीबी प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः—श्री डालूराम चौधरी
प्रतिवादी संख्या 09ः—रोशनलाल चौधरी
अन्य प्रतिवादीः— एकतरफा
राजस्व वाद अन्तर्गत धारा—53, 188
राजस्थान काश्तकारी अधि0—1955

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.02.21 14:07:43 IST
Reason: SelfAttested

—:पर्चा डिक्रीः—

दावा वादीगण अन्तर्गत धारा—53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या संयुक्त आराजी खसरा संख्या 1278 (वर्तमान खसरा संख्या 1278 व 1278/2) है0 मौजा राठौड़ो की ढाणी उर्फ मालियों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा—ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वाद डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग—अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुड़ामालानी को दिये जाते हैं।

खातेदार	हिस्सा	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
मनोज कुमार पुत्र रमेशचन्द्र सुरेश कुमार पुत्र रमेशचन्द्र कंचनदेवी पत्नी रमेशचन्द्र जाति जाट सा0 देह खातेदार	1/3 1/3 1/3	राठौड़ो की ढाणी उर्फ मालियों की ढाणी	1278 1278/2	3.0346 है0 0.0246 है0	बा0सो0
कुल किता 02 रकबा 3.0592 है0					
नवली पत्नी भंवरलाल जाति जाट सा0 खडीन खातेदार	पूर्ण	राठौड़ो की ढाणी उर्फ मालियों की ढाणी	1278/2	3.0592 है0	बा0सो0
कुल किता 01 रकबा 3.0592 है0					
भीखाराम पुत्र देदाराम हरिसिंह पुत्र देदाराम जाति जाट सा0 खडीन खातेदार	1/2 1/2	राठौड़ो की ढाणी उर्फ मालियों की ढाणी	1278/2 1279	2.0557 है0 1.0279 है0	बा0सो0
कुल किता 01 रकबा 3.0836 है0					
भंवरसिंह पुत्र मंगलसिंह हंसकंवर पत्नी मंगलसिंह दिलिपसिंह पुत्र मगसिंह सुरेन्द्रसिंह पुत्र मगसिंह लीला कंवर पत्नी मगसिंह जाति राजपुत सा0 देह खातेदार	1/4 1/4 1/6 1/6 1/6	राठौड़ो की ढाणी उर्फ मालियों की ढाणी	1278	2.7119 है0	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 2.7119 है0					

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.02.21 14:07:43 IST
Reason: SelfAttested

उक्तानुसार पक्षकारान अपने–अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक–पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता आराजी पर जबरन कब्जा व बेदखली न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना–अपना वहन करेगें।

यह डिक्री आज दिनांक 16.02.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी

न्यायालय सहायक कलक्टर/उपखंड अधिकारी
सत्यमेव जयते
गुढ़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.02.21 14:07:43 IST
Reason: SelfAttested